भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1671
जिसका उत्तर बुधवार, 29 जुलाई, 2026 को दिया जाएगा

आवश्यक वस्तुओं पर बफर स्टॉक

1671. श्री संजय उत्तमराव देशमुख:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टॉक उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के बफर स्टॉक में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह योजना किन-किन वस्तुओं के लिए प्रस्तावित है;
(ङ) उक्त योजना से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने में प्राप्त होने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है; और
(च) केंद्र सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए आवंटित बजट का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ङ): सरकार ने कृषि-बागवानी उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) की स्थापना की। इस स्कीम के अंतर्गत, प्रमुख दालों नामत: चना, तूर, उड़द, मूंग और मसूर के साथ-साथ प्याज़ का भी गतिशील बफ़र स्टॉक रखा जाता है। कीमतों की अस्थिरता को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं को इन वस्तुओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए, स्टॉक को योजनाबद्ध तरीके से बाज़ार में रिलीज़ किया जाता है।

उपभोक्ताओं की सुरक्षा हेतु पीएसएफ के अंतर्गत किए जा रहे मूल्य स्थिरीकरण प्रयासों तथा किसानों को मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले मूल्य समर्थन के बीच अभिसरण स्थापित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने इन दोनों स्कीमों का एकीकरण प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) स्कीम के अंतर्गत किया है। अभिसरण ढांचे के तहत, बफर स्टॉक के लिए खरीद सहित दालों की सभी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर पीएसएस के अंतर्गत की जाती है और बफर स्टॉक के लिए एमएसपी के अतिरिक्त, अर्थात बाजार मूल्य पर दालों की खरीद पीएसएफ के अंतर्गत की जाती है। इस पहल के माध्यम से, पीएसएफ और पीएसएस दोनों को बफ़र के लिए दालों की खरीद की संयुक्त ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और दालों का बफ़र बनाने में सहायता की है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, पीएसएस के तहत कुल 31.38 लाख टन दालों की खरीद की गई, जबकि वित्त वर्ष 2024–25 में यह 18.39 एलएमटी थी। बढ़ी हुई खरीद ने सरकार को दालों का पर्याप्त बफ़र स्टॉक बनाने में सक्षम बनाया है।

बफर स्टॉक से नियमित रूप से दालों की आपूर्ति करके उपलब्धता बढ़ाने से बाजार की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और किफायती दामों पर उपलब्ध हो पाती है। बफर स्टॉक के माध्यम से बाजार हस्तक्षेप से मार्केट प्लेयर्स को कीमतें कम करने के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा, सरकार के पास दाल का बफर स्टॉक मार्केट प्लेयर्स द्वारा हेराफेरी से जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करता है। प्याज के मामले में, बफर स्टॉक कीमतों में मौसमी उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रबी और खरीफ प्याज की कटाई के बीच की अवधि में भंडारित रबी प्याज की कमी के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। इस कमी वाले मौसम के दौरान बाजार में उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को स्थिर करने के लिए सरकारी बफर से प्याज को नियमित और लक्षित तरीके से जारी किया जाता है।

(च): मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत सरकार ने 2026-27 (बीई) में 4,100 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
